प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 202/**2025** (अपील सूचना का अधिकार)
Pratik Roat Add: Khimi, Dungarpur, Raj.

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, उदयपुर

....................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 23/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329912436537147 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/202/25/1233–34 दिनांक 05.12.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5365143363 दिनांक 05.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक प.9/भू.अ./सू.अ./2025/10194 दिनांक 24.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.11.2025 को आरटीआई पोर्टल पर एक बिन्दु की सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन outward no. 1519277177 दिनांक 12.11.2025 से शुल्क जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2025 से आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन inward no. 37421926 दिनांक 12.11.2025 से शुल्क कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन outward no. 7953645080 दिनांक 13.11.2025 से प्रेषित कर दी गई थी। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना आरटीआई पोर्टल पर जरिये outward no. 7953645080 दिनांक 13.11.2025 से प्रेषित की जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, उदयपुर